10/07/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28 JUN 2011

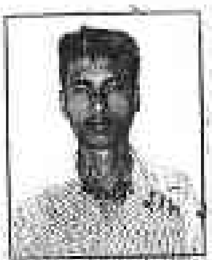

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	बरौना
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	:	भूमि खसरा संख्या–136, 137, 1624/1
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर

12065

[illegible] 08-2-11

[illegible]

[illegible] रवि सलोमन S/o [illegible]

[illegible]

नारायण शुक्ला ([illegible])

अनुज्ञप्ति संख्या 10/[illegible]

अनुज्ञप्ति की अवधि 31-3-2011

[illegible], लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 131009
28 JUN 2011

6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.1895 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं
9.	बोरिंग/कुआ/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 5,66,678/-
11.	बयाना	:	रू0 5,61,678/-
12.	मालियत	:	रू0 4,26,375/-
13.	स्टाम्प	:	रू0 39,800/-

12966

[illegible] 08-7-11

[illegible]

[illegible] 2
[illegible] रुपा रानीवन 50 गौड़

[illegible]

[illegible] 5002

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 8 JUN 2011

चौहद्दी

<u>खसरा नं0 136</u>

पूरब	: भूमि खसरा संख्या-137
पश्चिम	: भूमि खसरा संख्या-134
उत्तर	: भूमि खसरा संख्या-132
दक्षिण	: भूमि खसरा संख्या-135, 138

<u>खसरा नं0 137</u>

पूरब	: भूमि खसरा संख्या-139
पश्चिम	: भूमि खसरा संख्या-136
उत्तर	: भूमि खसरा संख्या-132
दक्षिण	: भूमि खसरा संख्या-138, 143

12867

08-7-11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 132050

28 JUN 2011

खसरा नं० 1624/1

पूरब	:	भूमि खसरा संख्या- ग्राम सीमा शंकर नगर
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या- 898
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या- 1623, 1624 व 1615
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या- 1626, 889

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता/प्रथम पक्ष का विवरण	:	क्रेता/द्वितीय पक्ष का विवरण
श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, निवासिनी -शिवहरा, लखनऊ। व्यवसाय – कृषि		राम सजीवन पुत्र भोंदू, निवासी- ग्राम-पूरे गिद्धी, कलौली, गुरुबक्शगंज, जिला-रायबरेली। व्यवसाय-कृषि

ह० शान्ती देवी ह० राम सजीवन

क्रम संख्या 3334

स्टाम्प विक्रय की तिथि 08-07-11

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... [signature]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... राम सजीवन S/o मौहू

लखनऊ

स्टाम्प की धनराशि 5000/-

मो० आमिर सिद्दीकी (स्टाम्प विक्रेता)

लाइसेंस संख्या 209/03

लाइसेंस की अवधि 31-3-2014

पोस्ट ऑफिस सिमैप बिल्ड०, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 132049

28 JUN 2011

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, निवासिनी–शिवढ़रा, लखनऊ, जिन्हे आगे विक्रेता/प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवम्

राम सजीवन पुत्र भोंदू, निवासी– ग्राम-पूरे निद्धी, कलौली, गुरुबक्शगंज, जिला–रायबरेली, जिन्हे आगे क्रेता/द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित हुआ।

[illegible] 3333

[illegible] 28-07-11

[illegible] शादि०

[illegible] राम सजीवन एक औंड़

अपन्ज़

[illegible] 500/-

[illegible] (स्टाम्प विक्रेता)

[illegible] 31-3-2014

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28 JUN 2011

यह कि विक्रेता/प्रथम पक्ष सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–00612, फसली वर्ष 1413 से 1418 के खसरा संख्या–136 रकबा 0.0570 हेक्टेअर, खसरा संख्या–137 रकबा 0.1320 हेक्टेअर, खसरा संख्या–1624/1 रकबा 0.1900 हेक्टेअर कुल तीन किता व कुल रकबा 0.3790 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.18950 हेक्टेअर, स्थित ग्राम बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की मालिक काबिल व काबिज हैं, तथा विक्रेता/प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में लगभग 22 वर्ष से बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

3332

08-07-11

प्र० राम सजीवन प्र० मौर्य

(पेशकार)

SDWJ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि उक्त भूमि असंक्रमणीय दर्ज है, उक्त कृषि भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष के कब्जे में लगभग 22 वर्ष से मौजूद है, उक्त कृषि भूमि जुमला हर किस्म के इन्तकालात, मिस्ल, रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, बन्धक, मुकदमा, सरकारी या गैर सरकारी बैंक ऋण, सरकारी या गैर सरकारी कार्यवाही आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है, अतः सक्षम अधिकारी से उक्त भूमि को संक्रमणीय घोषित करवा कर तथा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विक्रेता/प्रथम पक्ष, क्रेता/द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा। यदि उक्त भूमि का संक्रमणीय भूमि में

आदर्श कोषागार

दिनांक

मूल्य

भाग

द्वारा

उप निदेशक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 108372

28 JUN 2011

स०को०अ०/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
कलेक्टरेट कोषागार लखनऊ

हस्तान्तरण नहीं हो पाता है और प्रस्तावित क्रेता/द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि के कब्जे से बेदखल किया जाता है तो विक्रेता/प्रथम पक्ष सम्पूर्ण प्राप्त विक्रय मूल्य की धनराशि ब्याज सहित क्रेता/द्वितीय पक्ष को वापस करेगा।

अब बजरूरत खुद के उसी किता कृषि भूमि स्थित ग्राम-बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ को खूब-सोच व समझकर बिना दबाव नाजायज किसी चीज व हक व जुज के बिल एवज रू0 5,66,678/- (रुपया पाँच लाख छाछठ

आदर्श कोषागार

दि०

मूल्य

नाम

द्वारा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 108369

हजार छः सौ अटहत्तर मात्र) में क्रेता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त के हक में बेचना तय पाया है। लिहाजा हम उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तो के पाबन्द होते हैं:-

1. यह कि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त तयशुदा कीमत में से क्रेता/द्वितीय पक्ष ने विक्रेता/प्रथम पक्ष को रू0 5,61,678/- (रूपया पाँच लाख इकसठ हजार छः सौ अटहत्तर मात्र) बयाना के तौर पर नीचे दिये गये विवरण के

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 108370

अनुसार अदा कर दिया है। जिसकी प्राप्ति विक्रेता/प्रथम पक्ष स्वीकार करते हैं।

2. यह कि बकाया रुपया रु० 5,000/- (रुपया पाँच हजार मात्र) क्रेता/द्वितीय पक्ष, विक्रेता/प्रथम पक्ष को बरवक्त रजिस्ट्री अदा करेगा।

3. यह कि उक्त भूमि असंक्रमणीय दर्ज है, उक्त कृषि भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष के कब्जे में लगभग 22 वर्ष से मौजूद है, उक्त कृषि भूमि जुमला हर किस्म के इन्तकालात, मिस्ल,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 108371

रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, बन्धक, मुकदमा, सरकारी या गैर सरकारी बैंक ऋण आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है, अतः सक्षम अधिकारी से उक्त भूमि को संक्रमणीय घोषित करवा कर तथा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विक्रेता/प्रथम पक्ष, क्रेता/द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा। यदि उक्त भूमि का संक्रमणीय भूमि में हस्तान्तरण नहीं हो पाता है और क्रेता/द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि के कब्जे से बेदखल किया

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 290748
18 MAY 2011

जाता है तो विक्रेता/प्रथम पक्ष सम्पूर्ण प्राप्त विक्रय मूल्य की धनराशि ब्याज सहित क्रेता/द्वितीय पक्ष को वापस करेगा।

4. यह कि विक्रेता/प्रथम पक्ष यदि उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री बयनामा निष्पादित करने में हीला-हवाली करता है तो क्रेता/द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह बजरिये अदालत उक्त भूमि का रजिस्ट्री बयनामा अपने हक में करा लेवे तथा उक्त अदालती कार्यवाही में होने वाले खर्च की जिम्मेदारी विक्रेता/प्रथम पक्ष की होगी।

[illegible] 14/3/11
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

NV 060694

21 JUN 2011

5. यह कि यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे, अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा खर्चा ब्याज प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पति से जरिये अदालत वसूल कर लें उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उनके वारिसान हर्जा-खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 068695

पूर्व का कोई बकाया यदि सम्पत्ति पर होगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उनके वारिसान की होगी।

6. यह कि रजिस्ट्री बयनामा निष्पादन में होने वाले खर्च जैसे कि स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस आदि की जिम्मेदारी क्रेता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त की होगी।

7. यह कि इस अनुबन्ध पत्र द्वारा कब्जा दिया जा रहा है। विक्रेता/प्रथम पक्ष व क्रेता/द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 068696

8. यह कि उपरोक्त विक्रय अनुबन्ध की शर्त हम विक्रेता/प्रथम पक्ष व उत्तराधिकारी विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक व क्रेता/द्वितीय पक्ष के विधिक वारिसान आदि पर भी लागू होंगी।

9. यह कि उपरोक्त भूमि ग्राम बरौना, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 22,50,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत सम्पत्ति की भूमि

[illegible]

रकबा 0.18950 हेक्टेअर की मालियत रू0 4,26,375/- होती है, जो विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 39,800/- के जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहे हैं।

10. यह कि आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है तथा विक्रीत आराजी की 200 मीटर की त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है और न ही आवासीय गतिविधियां संचालित हैं।

11. यह कि उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

12. यह कि आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

<u>बयाना धनराशि प्राप्ति का विवरण</u>

1. रू0 1,30,839/- (रूपया एक लाख तीस हजार आठ सौ उन्तालिस मात्र) द्वारा चेक संख्या-842289, दिनांकित 05.07.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ।

2. रू0 1,30,839/- (रूपया एक लाख तीस हजार आठ सौ उन्तालिस मात्र) द्वारा चेक संख्या-842290, दिनांकित 05.07.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ।

3. रू0 3,00,000/- (रूपया तीन लाख मात्र) नगद।

इस प्रकार कुल बयाना राशि रू0 5,61,678/- (रूपया पाँच लाख इकसठ हजार छः सौ अठहत्तर मात्र) विक्रेता/प्रथम पक्ष ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से वसूल पाया।

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज विक्रेता/प्रथम पक्ष व क्रेता/द्वितीय पक्ष ने बिला जोर दबाब नाजायज किसी शख्स के स्वस्थ मस्तिष्क, स्वतन्त्र सहमति से अपने–अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाकर आज दिनांक 05 जुलाई सन् 2011 को तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

नोट : **पृष्ठ संख्या–4 पर खसरा संख्या–1624/1 की चौहद्दी काले पेन से लिखी गई हैं।**

लखनऊ

दिनांक :– 11.07.2011

गवाहान:–

1. 2/4 Maslepura
Faizabad road
Lucknow.

विक्रेता/प्रथम पक्ष

2. Shashir Kumar Sinha
F-3008 Rajajipuram
Lucknow

क्रेता/द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(पाली अनुराग)
एडवोकेट
हाईकोर्ट, लखनऊ

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

366,678.00	561,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
	अंकित धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत

श्रीमती शान्ती देवी

पत्नी श्री जगदीश प्रसाद

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी सिकन्दरा लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/7/2011 समय 4:45PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. त्रिवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/7/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती शान्ती देवी

पत्नी श्री जगदीश प्रसाद

पेशा कृषि

निवासी सिकन्दरा लखनऊ

क्रेता

श्री राम राजीव

पुत्र श्री पोपू

पेशा कृषि

निवासी पूरे निद्दी कल्ली जिला रायबरेली

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री वी0 डी0 अग्रवाल

पुत्र श्री मनोहरलाल अग्रवाल

पेशा व्यापार

निवासी 24 मारुतिपुरम इन्दिरा नगर लखनऊ

व श्री डी0के0 शुक्ला

पुत्र श्री शिव कुमार शुक्ला

पेशा व्यापार

निवासी राजाजीपुरम लखनऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गये है ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. त्रिवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/7/2011

ग्राम → बरौना

खसरा नम्बर → 131, 137, 1524(1)

क्रेता → [illegible]

विक्रेता → [illegible]

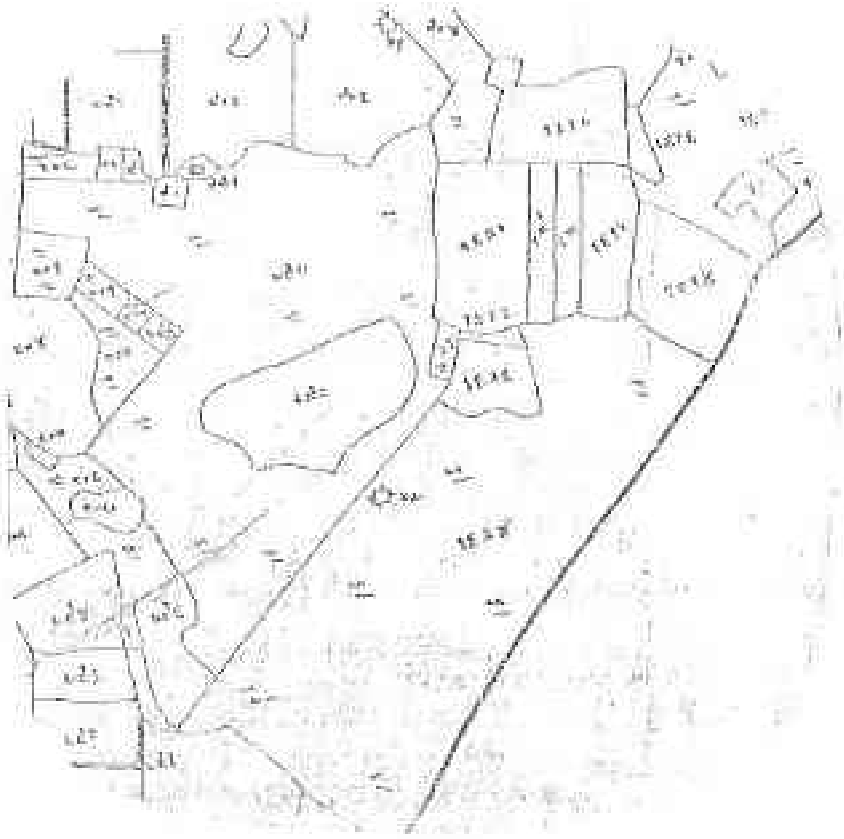

क्रेता [illegible]

विक्रेता [illegible]

विक्रेता

Registration No : 10107 | Year : 2,011 | Book No. : 1

0101 शान्ती देवी

जगदीश प्रसाद

सिपाहा लखनऊ

कृषि

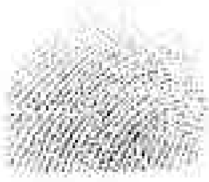

ग्राम → [illegible]

खसरा नम्बर → 133, 137, 169/1

क्रेता → राम [illegible]

विक्रेता → [illegible] देवी

नक्शा

क्रेता

विक्रेता

क्रेता

Registration No.: 10107 Year: 2,011 Book No.: 1

0201 राम कलीश
बोधू
पुरे मिट्ठी कलौली जिला रायबरेली
कृषि

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता–श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, निवासिनी –शिवढरा, लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

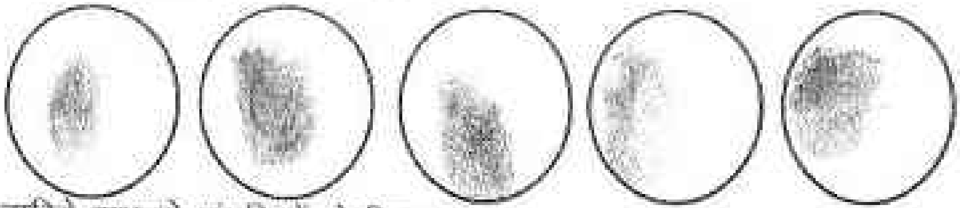

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

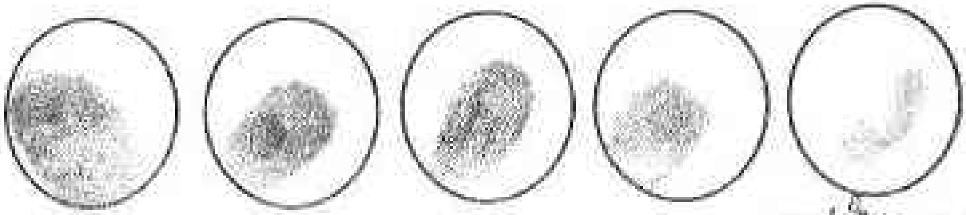

हस्ताक्षर विक्रेता

क्रेता का नाम व पता–राम सजीवन पुत्र भोंदू, निवासी– ग्राम–पूरे गिद्दी, कलौली, फुरसतगंज, जिला–रायबरेली।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

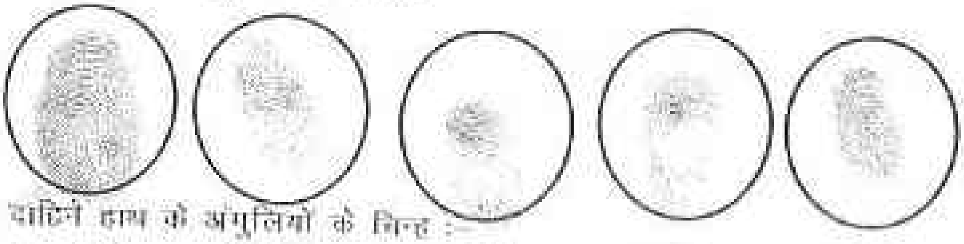

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

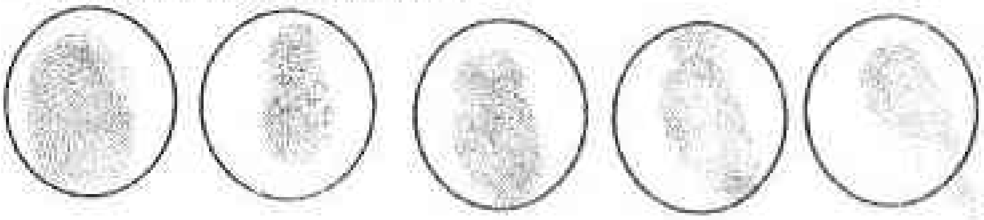

हस्ताक्षर क्रेता

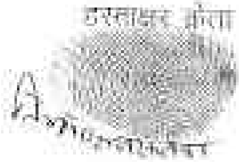

आज दिनांक **11/07/2011** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **12975**

पृष्ठ सं. **389** से **428** पर क्रमांक **10107**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/7/2011